

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(33)वित्त-1(1)आ.व्यय./2004/पार्ट-III


जयपुर, दिनांक: 04 जनवरी, 2019

संशोधित मीटिंग नोटिस

इस विभाग के समसंख्यक मीटिंग नोटिस दिनांक 06.12.2018 एवं संशोधित मीटिंग नोटिस दिनांक 29.12.2018 के द्वारा राजस्व प्राप्तियों के आय- व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित अनुमान 2018-19 को अंतिम रूप दिये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त मीटिंग नोटिस में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित विभागों का निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र. सं	विभाग का नाम	पूर्व में निर्धारित तिथि एवं समय	संशोधित तिथि एवं समय
1	राज्य आबकारी विभाग	09.01.2019 03:00 बजे	05.01.2019 10:30 बजे
2	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	08.01.2019 03:00 बजे	05.01.2019 2:30 बजे
3	जल संसाधन विभाग इन्दिरा गांधी नहर- बोर्ड सिंचित क्षेत्र विकास विभाग कोटा	07.01.2019 03:00 बजे	15.01.2019 3:00 बजे
4	राजस्व उपनिवेशन विभाग	07.01.2019 03:30 बजे	15.01.2019 3:30 बजे
5	पुलिस विभाग	10.01.2019 03:00 बजे	17.01.2019 12:00 बजे

मीटिंग कार्यक्रम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया संशोधित कार्यक्रमानुसार बैठक में भाग लेने का श्रम करें।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित विभाग / अधिकारीगण।
8. तकनीकी निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) को उक्त नोटिस वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त शासन सचिव